न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला – उदयपुर (राज.)
निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश सुराणा (RAS)
प्रकरण संख्या–21/2014 रा.वा.

दायर दिनांक– 19.06.2014
फैसल दिनांक– 09.06.2016

1. श्री धुलेश्वर पिता मनजी मीणा निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
2. श्री फता पिता पेमा मीणा निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
3. श्री हिम्मत पिता हकरा मीणा निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
4. श्री हरीश पिता हकरा मीणा निवासी कागदर, बोबला फला, त. ऋषभदेव
5. श्रीमति थावरी बेवा हकरा मीणा निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव

–वादीगण–

बनाम

1. श्री नारायण पिता केया जी कलासुआ (मीणा) निवासी कागदर बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
2. श्री मनोहर पिता नारायण कलासुआ निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
3. श्री सतीश पिता नारायण कलासुआ निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
4. श्री नन्दु पिता नारायण कलासुआ निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
5. श्रीमति सुशीला पत्नि नारायण कलासुआ निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
6. श्रीमति सरला देवी पत्नि मनोहर कलासुआ निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
7. श्रीमति धनवती पुत्री नारायण कलासुआ निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
8. (अ) श्री शान्तिलाल पिता स्व. धर्मा मीणा निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव
   (ब) श्रीमति थावरी बेवा स्व. धर्मा मीणा निवासी कागदर, बोबला फला, तहसील ऋषभदेव

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा बोबला फला पटवार सर्कल माण्डवा फला कागदर की आ.नं. 2143/0.20–2144/0.04–2152/0.04 –2153/0.02–2154/0.03 हेक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 की पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 अपने पिताओं के समय से काबिज होकर संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर सभी खातेदारो का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात से लगी हुई वादी संख्या 2 के नाम से पुश्तैनी भूमि है जो कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात से लगी हुई होकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 के कब्जे काश्त की कृषि भूमि है, जिसके आ.नं. 2150 रकबा 0.06 हेक्टेयर है, जिसके चारो ओर थूर की बाड़ से वादीगण ने मेहदुद कर रखा है। वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण तथा प्रतिवादी नं. 8 संयुक्त रूप से मक्की–गेंहू–उड़द की फसल कमाते आ रहे है। दिनांक 28.4.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक हथियारो से लैस होकर गाली–गलौच करते हुए जे.सी.बी. मशीन को साथ लेकर आये व वादीगण व प्रतियादी नं. 8 की खातेशुदा उक्त वादग्रस्त जमीन पर अतिक्रमण करने लगे तथा उस पर स्थित थूर की बाड़ को उखाड़ डाली तथा खेत पर स्थित पाली को तोड डाला तथा खेत में मकान बनाने हेतु जे.सी.बी. से नींव खोद डाली, जिस पर वादीगण ने विरोध किया तो भी

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक नहीं माने तथा जबरन वादीगण की अन्य जमीन में खुदाई कर पत्थर निकालने लगे, जिसका वादीगण एवं उसके परिजनों ने विरोध किया तो प्रतिवादीगण मरने–मारने को उतारू हो गये। जिसके सम्बन्ध में पुलिस थाना ऋषभदेव में रिपोर्ट दर्ज करवाई तथा तहसीलदार को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमा जानकारी करवाई, जिस पर पटवारी साहब मौके पर आये व सीमा जानकारी करवा कर दी, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 फिर भी नहीं माने तथा पटवारी साहब के जाने के बाद पुनः विवाद करने लगे, जिस कारण यह वाद निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक का कोई सरोकार नहीं है, न ही उनका उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर कभी कब्जा रहा है, इसके बावजूद प्रतिवादी सं. 1 से 7 वादीगण को जानबूझकर परेशान करने व वादीगण को बेदखल कर देने की नीयत से परेशान कर रहे है तथा वादीगण के उपरोक्त वादवर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाहते है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण जबरन अतिक्रमण कर मकान का निर्माण करना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा कई बार वादीगण को धमकी दी गई कि वे उन्हें बेदखल कर मकान बनायेगे। इस बदनीयति से आये दिन वादीगण के साथ झगड़ा–फसाद करते आ रहे है तथा विरोध करने पर मरने–मारने को उतारू हो जाते है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। यदि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नही रोका गया तो वादीगण को ऐसी हानि होगी जिसका एवजाना असम्भव होगा तथा साथ ही वादीगण अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आ.नं. 2143/0.20–2144/0.04–2152/0.04–2153/0.02–2154/0.03 हेक्टेयर संयुक्त खाते की तथा आ.नं. 2150/0.06 हेक्टेयर वादी नं. 8 के खाते की भूमि, जो संयुक्त खातेदारी भूमि से सटमी है, से वंचित हो जायेगें, प्रतिवादी सं. 1 से 7 उनकी सम्पत्ति हडप लेंगे जिसका एवजाना असम्भव होगा। ऐसे में वांछित निषेधाज्ञा जारी कराया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में वाद हेतुक दिनांक 28.4.2014 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने जे.सी.बी. लगाकर वादीगण के खाते व कब्जे–काश्त की आराजीयात में खुदाई करना प्रारम्भ कर दिया तथा वादीगण के खेत के चारो ओर स्थित थुअर की बाड़ को तोड़ कर जे.सी.बी. से खुदाई कर नुकसान पहुंचाया जिसका वादीगण ने विरोध किया तो प्रतिवादी सं. 1 से 7 ने वादीगण के साथ गाली–गलौच की तथा वादीगण को मरने–मारने पर उतारू हो गये तथा वादीगण की खातेशुदा भूमि पर जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास करने लगे, इसलिए यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाया गया है। अंत में निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से वादीगण को मौके से बेदखल न करने तथा वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण, खुदाई, निर्माण, नुकसान आदि कार्य न करने तथा वादीगण के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा न पहुंचाने बाबत प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से वकील श्री बलवीरसिंह चौहान ने उपस्थित होकर प्रतिवादी श्री नारायण की तरफ से वकालतनामा दिनांक 14.07.2014 को पेश किया तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। दिनांक 8.1.2015 को प्रतिवादी श्री नारायण, सुशीलादेवी, धनवंती, सुरज उपस्थित हुये। दिनांक 11.12.2014 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम मौका दिया गया था, इसलिए 100 रू. कोस्ट पर मौका दिनांक 8.1.2015 को दिया गया। दिनांक 19.2.2015 को डबल कोस्ट 200 रू. पर मौका दिया गया तथा दिनांक 14.5.2015 को 400 रू. कोस्ट पर एवं दिनांक 9.7.2015 को पुनः अंतिम मौका देते हुये सूचित किया गया था कि आगामी पेशी पर जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर स्वतः मौका समाप्त कर दिया जावेगा। तथापि दिनांक 6.8.2015 को

प्रतिवादीगण तथा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा प्रतिवादीगण के जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात वादीगण की एक पक्षीय शहादत एवं एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 10.12.15 नियत की गई। दिनांक 30.11.2015 को प्रतिवादी श्री नारायणलाल, सुशीला व साकरचन्द की तरफ से वकील श्री के.के. मेहता ने प्रतिवादीगण की उपस्थिति में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 148 व 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की प्रति प्रतिवादीगण के वकील को दिनांक 26.11.15 को ही उपलब्ध करा दी गई थी। प्रार्थना पत्र का जवाब वकील वादीगण द्वारा दिनांक 11.2.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर उभय पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 148 एवं 151 जा.दी. का खारिज किया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.05.2016 को प्रतिवादीगण के वकील श्री के. के. मेहता ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को अग्रिम न्यायिक कार्यवाही में भाग लेने एवं बहस करने का अवसर देने का निवेदन किया, लेकिन दिनांक 30.05.2016 को प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात वादीगण के वकील ने निवेदन किया कि मामला पूर्ण रूप से एकपक्षीय है, अतः ऐसी स्थिति में एकपक्षीय बहस सुनी जावे।

हमने अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया तथा मुख्यतः यही कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 8 की संयुक्त/एकल खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि है। वादग्रस्त कृषि आराजीयात भूमि के चारों ओर थूअर की बाड़ लगी होकर कब्जा–काश्त वादीगण व प्रतिवादी सं. 8 का ही है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में दिनांक 28.04.14 को वादग्रस्त भूमि की मौतबिरानों की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा सीमा जानकारी करायी गयी जिसमें भी वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 8 की खातेदारी में दर्ज पायी जाकर मौके पर कब्जा–काश्त भी वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 8 का ही पाया गया, लेकिन जब प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर थूअर की बाड़ को तोड़ा गया तथा वादीगण के साथ मारपीट की गई, तब मजबूरन वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के विरूद्ध यह दावा पेश करना पड़ा। अंत में निवेदन किया कि वादीगण के वाद को स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस पर चिंतन व मनन किया। पत्रावली में संलग्न प्रदर्श–1 ग्राम बोबला फला की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता सं. 77 में वादग्रस्त भूमि आ.नं. 2150 रकबा 0.0600 हेक्टेयर भूमि वादी सं. 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है तथा प्रदर्श–2 खाता सं. 39 में वादग्रस्त भूमि आ.नं. 2143/0.2000, 2144/0.0400, 2152/0.0400, 2153/0.0200 व 2154/0.0300 भूमि वादी सं. 1 व 2 तथा वादी सं. 3 लगायत 5 व प्रतिवादी सं. 8(अ) व 8(ब) के पिता/पति के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। इन राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त कृषि आराजीयात भूमि से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों के विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा, कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी, अपना कोई प्रत्युत्तर/पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेजों व गवाहो के बयानों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा

बोबलाफला की वादग्रस्त वर्तमान कृषि भूमि आराजी नं. – 2150 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, 2143 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, 2144 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, 2152 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, 2153 रकबा 0.0200 हेक्टेयर तथा आराजी नंबर 2154 रकबा 0.0300 हेक्टेयर भूमि या उसके किसी भाग पर वादीगण के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करें, न ही नाजायज कब्जा करने का प्रयास करें, न ही वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान पहुचावें। वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार की खुदाई अथवा निर्माण कार्य भी नहीं करे तथा न ही वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करे। उक्त कृत्य स्वयं अथवा अपने नौकरों, एजेन्टों या परिजनों से भी नही करावें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

09.06.2016

(शैलेश सुराणा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव